

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3346
जिसका उत्तर 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम का कार्यान्वयन और प्रगति

3346. डॉ. बायरेडडी शबरी:

श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण और प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम) कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार कुल कितना क्षेत्र शामिल किया गया है और आज तक विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में इसका कितना मानचित्रण किया गया है;
- (ख) भूजल की उपलब्धता, पुनर्भरण क्षमता और संदूषण जोखिमों सहित आन्ध्र प्रदेश में जलभूत मानचित्रण का जिलावार व्यौरा क्या है;
- (ग) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में एनएक्यूयूआईएम के लिए वर्षवार कितनी निधि आबंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई है;
- (घ) राज्य और जिला प्राधिकारियों के अधीन जलभूत प्रबंधन योजनाओं की संख्या कितनी है और उनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और सिफारिशों के आधार पर विशेषकर नंदयाल में क्या उपाय किए गए हैं;
- (ङ) भूजल स्तर की निगरानी के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में कुल कितने डिजिटल जल स्तर रिकार्डर लगाए गए हैं;
- (च) इस कार्यक्रम के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में पहले से ही मैप किए गए क्षेत्रों में भूजल में रासायनिक संदूषण की मात्रा की पहचान की गई है; और
- (छ) सरकार द्वारा पेयजल और सिंचाई सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए संदूषित जल का उपयोग करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा जलभूतों की प्रकृति और उनके विशिष्टीकरण की रूपरेखा तैयार करने तथा भूजल प्रबंधन हेतु योजना के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभूत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्युम) की शुरुआत की गई थी। 31 मार्च 2023 तक देश के लगभग 33 लाख वर्ग किमी के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 25 लाख वर्ग किमी के मैपिंग योग्य क्षेत्र को नैक्युम कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त, जिला-वार भूजल प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं और इसे उपयुक्त उपायों को लागू करने के लिए सभी संबंधित राज्य/जिला प्राधिकरणों के साथ साझा किया गया है। नैक्युम के अंतर्गत शामिल राज्य-वार क्षेत्र का विवरण अनुलग्नक-। में दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में, राज्य

के कुल 1.64 लाख वर्ग किमी भौगोलिक क्षेत्र में से 1.41 लाख वर्ग किमी के कुल मैपिंग योग्य क्षेत्र को शामिल किया गया है।

(ख): सीजीडब्ल्यूबी द्वारा किए गए डॉयनेमिक भूमि जल संसाधन आकलन (जीडब्ल्यूआरए), 2024 के अनुसार आंध्र प्रदेश के लिए भूजल पुनर्भरण और उपलब्धता (वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन) का जिला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। जीडब्ल्यूआरए-2024 के अनुसार, आंध्र प्रदेश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 278 एमसीएम है, जिसमें वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 264.1 एमसीएम है। वर्तमान वार्षिक भूजल निष्कर्षण 78.8 एमसीएम है तथा भूजल निष्कर्षण का चरण 29.8% है।

आंध्र प्रदेश के भूजल गुणवत्ता के संदर्भ में कुछ प्रमुख मापदंडों से संबंधित सूचना **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

(ग): नैक्यूम कार्यक्रम, भूजल प्रबंधन एवं विनियमन (जीडब्ल्यूएम एवं आर) स्कीम का एक घटक है, पूरे देश में इसका कार्यान्वयन नियमित भूजल मानीटरिंग, संसाधन आकलन, विनियमन, गुणवत्ता विश्लेषण आदि के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत राज्यों को निधि का आवंटन नहीं किया जा रहा है तथा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन सीजीडब्ल्यूबी द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए जीडब्ल्यूएम एवं आर योजना के लिए कुल 997 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और अब तक कुल 747.3 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

(घ): नंदयाल जिले की रिपोर्ट सहित आन्ध्र प्रदेश के सभी 26 जिलों की नैक्यूम रिपोर्ट को प्रधान सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार की अध्यक्षता वाली राज्य भूमि जल समन्वय समिति (एसजीडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से राज्य सरकार के साथ साझा की गई है। इन सभी 26 रिपोर्टों को संबंधित जिला प्रशासन के साथ भी साझा किया गया है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि ये रिपोर्ट केवल परामर्शी प्रकृति की हैं और इनके कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय राज्य/जिला एजेंसियों द्वारा प्रशासनिक और बजटीय कारकों के आधार पर किया जाता है।

(ङ): नैक्यूम कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर (डीडब्ल्यूएलआर) संस्थापित नहीं किए गए हैं। तथापि, इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में टेलीमेट्री प्रणालियों (भूजल सेंसरों) सहित 783 डीडब्ल्यूएलआर (राज्य सरकार और सीजीडब्ल्यूबी) संस्थापित किए गए हैं।

(च): अन्य भूजल पैरामीटरों की भाँति ही, भूजल की गुणवत्ता डॉयनेमिक प्रकृति की है और इनमें दिक और काल के अनुसार विविधता है। इस उद्देश्य के लिए, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा प्रत्येक वर्ष भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के एक भाग के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर देश के भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े तैयार किए जाते हैं। इन

अध्ययनों से आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ छिट पुट पॉकेटों में मानव उपभोग के लिए अनुमत्य सीमा (बीआईएस के अनुसार) से अधिक फ्लोराइड, नाइट्रेट जैसे संदूषकों की उपस्थिति तथा विद्युतीय चालकता के बढ़े हुए मान आदि की सूचना प्राप्त हुई है। वर्ष 2023 के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की सूचना के अनुसार संदूषण का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(छ): जल राज्य का विषय है। भूजल गुणवत्ता में सुधार करने और संदूषण के उपशमन के लिए पहल करने सहित भूजल प्रबंधन का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। सामान्यतः सरकार का अधिकार क्षेत्र जांच के माध्यम से दूषित स्रोतों को चिह्नित कर उन्हें पृथक करना और वैकल्पिक सुरक्षित स्रोतों का प्रावधान करना है। ऐसे गुणवत्ता प्रभावित रिहाइशों में जहां वैकल्पिक स्रोतों से जल सुगमता से उपलब्ध नहीं हैं, सामुदायिक जल शोधक संयंत्र (सीडब्ल्यूडब्ल्यूपी) स्थापित किए गए हैं।

नागरिकों को पेय और सिंचाई उद्देश्यों के लिए सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं: -

- i. भारत सरकार द्वारा राज्यों की साझेदारी में, अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्दिष्ट गुणवत्ता और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर नल के पेय जल की आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। जेजेएम के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस : 10500 मानक को नल जल सेवा वितरण की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंडों के रूप में अपनाया गया है। जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से जल सुरक्षा इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रही है। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय, रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित रिहाइशों में रहने वाली जनसंख्या को 10% वेटेज दिया जाता है।
- ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता से प्रभावित गांवों के लिए सतही जल स्रोतों अथवा वैकल्पिक सुरक्षित भूजल स्रोतों जैसे सुरक्षित जल स्रोतों पर आधारित वृहद मात्रा में जल अंतरण हेतु पाइप द्वारा जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन करने का परामर्श दिया गया है।
- iii. सीजीडब्ल्यूबी के पास उपलब्ध भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े विभिन्न हितधारकों द्वारा उपयोग के लिए रिपोर्टों के साथ-साथ वेबसाइट (<http://www.cgwb.gov.in>) के माध्यम से भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाते हैं। आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ आंकड़ों को साझा भी किया जाता है। हितधारकों

द्वारा त्वरित कार्वाई के लिए अर्द्धवार्षिक बुलेटिन और पाक्षिक चेतावनियां भी जारी की जा रही हैं।

- iv. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा संदूषण मुक्त जलभृतों से निष्कर्षण के लिए नवीन सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कूपों का सफलतापूर्वक निर्माण किया जा रहा है और फ्लोराइड सुरक्षित कुओं के निर्माण में राज्यों के विभागों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की जा रही है। ऐसे सुरक्षित कूपों का उपयोग पेय जल और सिंचाई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
- v. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) के सहयोग से जल में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जल (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सीपीसीबी द्वारा एसपीसीबी/पीसीसी के माध्यम से प्रवर्तन के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित बहिस्त्रावों के निस्सरण हेतु उद्योग विशिष्ट मानक और सामान्य मानक विकसित कर बिन्दु स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए जल प्रदूषण पर एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है।
- vi. इसके अतिरिक्त उपयुक्त भूजल पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूजल संसाधनों में सुधार करने के लिए ठोस प्रयास कर भूजल की गुणवत्ता में कुछ सीमा तक सुधार किया जा सकता है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान, पीएमकेएसवाई-वाटरशेड विकास, मनरेगा, अटल भूजल योजना जैसी कई पहल/योजनाएं आरंभ की गई हैं।

“राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम का कार्यान्वयन और प्रगति” के संबंध में दिनांक 20.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3346 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

नैक्यूम अध्ययनों के अंतर्गत शामिल राज्य-वार क्षेत्र

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	नैक्यूम कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कुल क्षेत्र (वर्ग किमी)
1	अंडमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र	1,774
2	आंध्र प्रदेश	1,41,784
3	अरुणाचल प्रदेश	4,703
4	असम	61,826
5	बिहार	90,567
6	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	115
7	छत्तीसगढ़	96,000
8	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	602
9	दिल्ली	1,483
10	गोवा	3,702
11	गुजरात	1,60,978
12	हरियाणा	44,179
13	हिमाचल प्रदेश	8,020
14	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	9,506
15	झारखण्ड	76,705
16	कर्नाटक	1,91,719
17	केरल	28,088
18	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	32
19	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	963
20	मध्य प्रदेश	2,69,349
21	महाराष्ट्र	2,59,914
22	मणिपुर	2,559
23	मेघालय	10,645
24	मिजोरम	700
25	नगालैंड	910
26	ओडिशा	1,19,636
27	पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	454
28	पंजाब	50,368
29	राजस्थान	3,34,152
30	सिक्किम	1,496
31	तमिलनाडु	1,05,829
32	तेलंगाना	1,04,824
33	त्रिपुरा	6,757
34	उत्तर प्रदेश	2,40,649
35	उत्तराखण्ड	11,430
36	पश्चिम बंगाल	71,947
	कुल	2514437

“राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम का कार्यान्वयन और प्रगति” के संबंध में दिनांक 20.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3346 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जीडब्ल्यूआरए 2024 के अनुसार आंध्र प्रदेश में भूजल पुनर्भरण और उपलब्धता का जिलावार विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण (एमसीएम)	वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन (एमसीएम)	वर्तमान वार्षिक भूजल निष्कर्षण (एमसीएम)	भूजल निष्कर्षण का चरण (%)
1	अल्लूरी सीताराम राजू	15.82	15.03	0.22	1.5
2	अनकापल्ली	8.20	7.79	2.10	26.9
3	अनंतपुरम	12.20	11.59	4.09	35.3
4	अन्नामय्या	8.66	8.22	3.55	43.1
5	बापतला	7.03	6.68	1.83	27.3
6	चित्तूर	9.04	8.59	5.09	59.3
7	पूर्वी गोदावरी	10.73	10.19	3.42	33.5
8	एलुरु	18.28	17.37	4.77	27.5
9	गुंटूर	5.45	5.18	1.06	20.5
10	काकीनाडा	11.26	10.72	1.71	16.0
11	कोनासीमा	11.22	10.66	1.06	9.9
12	कृष्णा	16.67	15.84	4.70	29.7
13	कुरनूल	6.75	6.41	1.96	30.6
14	एनटीआर	6.43	6.10	2.39	39.1
15	नंदयाल	8.22	7.81	1.29	16.5
16	पलनाडु	10.15	9.64	2.92	30.3
17	पार्वतीपुरम मान्यम	9.14	8.69	2.18	25.1
18	प्रकाशम	9.83	9.34	4.67	50.0
19	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	19.70	18.71	4.39	23.5
20	श्री सत्य साई	11.99	11.39	6.91	60.7
21	श्रीकाकुलम	13.22	12.56	4.44	35.3
22	तिरुपति	16.15	15.35	5.36	34.9
23	विशाखापत्तनम	1.26	1.20	0.54	44.9
24	विजयनगरम	14.27	13.56	3.58	26.4
25	पश्चिम गोदावरी	5.59	5.31	0.44	8.4
26	वाई.एस.आर कडप्पा	10.72	10.19	4.14	40.7
	कुल (एमसीएम)	277.99	264.11	78.80	29.8

“राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम का कार्यान्वयन और प्रगति” के संबंध में दिनांक 20.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3346 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

आंध्र प्रदेश में उच्च विद्युतीय चालकता (ईसी), फ्लोराइड और नाइट्रेट दर्शाने वाले नमूनों का विवरण

आंध्र प्रदेश	3000 μ S/cm से अधिक EC वाले नमूनों का %	1.5mg/L से अधिक फ्लोराइड वाले नमूनों का %	45mg/L से अधिक नाइट्रेट वाले नमूनों का %
कुल	9.70%	11.30%	23.40%
